भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5277

उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

अन्य पिछड़ा वर्ग

5277. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य पिछड़ा वर्गों (अपिव) की केन्द्रीय सूची में समुदायों को शामिल करने अथवा उससे बाहर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड और मापदंड क्या हैं तथा इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की वैधानिक भूमिका क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की हाल की रिपोर्टों में उल्लिखित आंकड़ों की कमी, राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के प्रसंस्करण में विलंब तथा राज्य और केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूचियों के बीच असंगति के संबंध में संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कोडवा/कोडवारु/कोडगारु समुदाय सहित कई समुदाय राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त होने के बावजूद केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची का अंतिम बार संशोधन कब किया गया था तथा उसमें राज्य-वार कितने समुदायों/उप-जातियों को जोड़ा या हटाया गया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण के लिए केन्द्रीय अपिव कल्याण योजनाओं तक पहुंच पर इस तरह के बर्हिवेशन के प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा किसी समुदाय को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने के लिए हाल में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसकी स्थिति क्या है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में समुदायों को शामिल करने या उससे बाहर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड और मापदंड, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 338ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और इसके प्रावधान **संलग्नक-1** में संलग्न हैं।

(ग) से (च): हाल-फिलहाल में, कर्नाटक राज्य सरकार से कोडवा/कोडवारु/कोडगारु को शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और ये समुदाय ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं। ओबीसी की केंद्रीय सूची में किए गए सभी समावेशन/बहिष्करण एनसीबीसी की वेबसाइट (ncbc.nic.in) पर देखे जा सकते हैं।

रजिस्ट्री सं० डी०-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2— अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1 No. 1 | नई दिल्ली, सोमवार, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 (शक) NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2019/MAGHA 29, 1940 (SAKA) | खंड LV VOL. LV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940 (शक)

दि कांस्टीट्यूशन (वन हंडरेड एंड सैकेण्ड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है और यह भारत का संविधान के अनुच्छेद 394क के अधीन उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi. February 18, 2019/*Magha* 29, 1940 (*Saka*)

The following translation in Hindi of the Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act, 2018 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under article 394A of the Constitution of India:—

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018

[11 अगस्त, 2018]

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अनुच्छेद 338 का संशोधन।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) में, "ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश है" शब्द रखे जाएंगे।

नए अनुच्छेद 338ख का अंत:स्थापन।

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

"338ख. (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जिसका राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।''।

4. संविधान के अनुच्छेद 342 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अनुच्छेद 342क का अंत:स्थापन।

''342क. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।''।

5. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— अनुच्छेद 366 का संशोधन।

'(26ग) ''सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों'' से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है;'।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

डा० जी० नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

BANSHI DHAR DUBEY

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.

MGIPMRND—3979OLW(S3)—17-05-2019.
